

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,
क्रमांक/133/रा.यु.उ.यो./2023-24/12380 नवा रायपुर दिनांक 15/02/2024


“संक्षिप्त विज्ञापित”

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से
आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2024-25

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (B) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

- (1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 07.03.2024, सायं 4.00 बजे तक
- (2) आवेदन जमा करने का स्थान - संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा/दुर्ग में जमा कर सकते हैं।

आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि सूचना विभागीय वेबसाइट से अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु अनुदेश
वर्ष 2024-25

- (1) **प्रशिक्षण की अवधि** – कोचिंग की अवधि अधिकतम 01 वर्ष होगी। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।
- (2) **कोचिंग का स्थान** – चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
- (3) **योजनांतर्गत निर्धारित सीटे** – कुल 100 सीटे (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित)। जिला रायपुर हेतु 50 सीटे एवं जिला दुर्ग हेतु 50 सीटे निर्धारित है।
- (4) **निवास तथा जाति संबंधी पात्रता** –
 1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
 3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
- (5) **आयु** – 01.01.2024 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
- (6) **शैक्षणिक योग्यता** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
- (7) **आय** – ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता/पालक की आय रु. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- (10) **आवेदन जमा करना** – अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा/दुर्ग में आवेदन जमा कर सकता है।
- (11) **प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप** – प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2:30 घंटे का होगा, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप होगा)
- (12) **चयन** – अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- (13) **आवेदन पत्रों का भरा जाना** – आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवे एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
- (14) छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- (15) **विस्तृत विवरण** – योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.